

अधिसूचना
सं0 16/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सा.का.नि. (अ.).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं0 23/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

- (i) क्रम संख्यांक 1क और 1ख और उसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) क्रम संख्यांक 5क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "12%" के स्थान पर, प्रविष्टि "12.5%" रखी जाएगी;
- (iii) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "12%" के स्थान पर, प्रविष्टि "12.5%" रखी जाएगी;
- (iv) क्रम संख्यांक 7क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "12%" के स्थान पर, प्रविष्टि "12.5%" रखी जाएगी ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 23/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं.18/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो सा.का.नि.सं. 449(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।